# श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय तहसील मनगवा जिला रीवा म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 47/a6/2023-24/अ-6/2023-24

सुशीला केवट फूल

प्रार्थी केता

बनाम शालिकराम निवासी -फूल

विपक्षी विकेता

# आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 109-110 म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

सेवा में निवेदन है कि प्रार्थी ने विपक्षी से निम्न वर्णित भूमि को बजर्ये विक्रय पत्र क्रमांक mp475675 दिनांक 03-10-2023 के क्रय की है जिसकी प्रतिलिपी संलग्न है। सर्वे नम्बर 642/1 कुल सर्वे नम्बर 1 कुल रकबा 0.258 गांव का नाम फूल जहां भूमि स्थित है।

अत : श्रीमान से निवेदन है कि उक्त भूमि पर प्रार्थी का नामांतरण किया जावे ।

दिनांक -

हस्ताक्षर प्रार्थी

# फार्म अ (परिपत्र दो-1 की कण्डिका 6 देखिये) राजस्व आदेश - पत्र (रेवेन्यू ऑर्डर शीट)

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील मनगवा के न्यायालय में मामला क्रमांक

47/a6/2023-24/33-6/2023-24 विषय विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण बाबत प्रकरण की श्रेणी जॉच प्रतिवेदन ग्राम फूल बंदोबस्त क्रमांक पटवारी हल्का क्रमांक 21 रीवा कलेक्टर का प्रकरण क्रमांक सन 20-20 तहसीलदार का प्रकरण क्रमांक.....सन 200-200 नायब तहसीलदार का प्रकरण क्रमांक 47/a6/2023-24 सन 20-20

आदेश क्रमांक	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र अथवा	
कार्यवाही की	कार्यवाही	वकीलों के हस्ताक्षर, आदेशों के
तारीख और	(2)	पालन करवाकर लिपिक के
स्थान		संक्षिप्त हस्ताक्षर और प्रकरण
(1)		की तारीख
		(3)
/ /2023	आवेदक सुशीला केवट निवासी फूल द्वारा	SL-
	म.प्र.भू.रा.स.1959 की धारा 109,110 के तहत ग्राम फूल	
	स्थित भूमि सर्वे नम्बर 642/1 कुल सर्वे नम्बर 1 कुल रकबा	Date- / /2023
		विज्ञप्ति,पटवारी लेटर
		एवं नोटिस
	`	९५ गा। ८५
	आधार पर नामांतरण किया जाने का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया ।	
	। नवदन किया गया ।	
	- प्रकरण दर्ज हो ।	
	- विज्ञप्ति जारी हो ।	
	- पटवारी से प्रतिवेदन लिया जावे ।	
	- हितबद्ध पक्षकार तलब हो ।	
	पेशी दिनांक / /2023	
	नायब	
	तहसीलदार	
	तहसील मनगवा	
	व्यवसारा गामा	

### न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील मनगवा जिला रीवा (म.प्र.)

क्रमांक /री-1/2023 तहसील मनगवा, दिनांक / /2023
 प्रति,
 पटवारी
 ग्राम- फूल
 Date- / /2023

विषय:- नामांतरण प्रकरण में पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत।

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आवेदक केता सुशीला केवट निवासी फूल द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109,110 के तहत ग्राम फूल स्थित भूमि सर्वे नम्बर 642/1 कुल सर्वे नम्बर 1 कुल रकबा 0.258 पर विकेता शालिकराम निवासी- के स्थान पर विकय पत्र क्रमांक mp475675 के आधार पर नामांतरण किया जाने का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया ।

प्रकरण ऋमांक 47/a6/2023-24/अ-6/2023-24 न्यायालय में प्रचलित है। अतः उक्त भूमि के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर आप अपनी रिपोर्ट प्रकरण में नियत पेशी दिनांक / /2023 के पूर्व अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।

- 1. राजस्व रिकार्ड अनुसार भू-दान की भूमि है अथवा नहीं?
- 2. राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि वर्तमान में किसके नाम से दर्ज है ?
- 3. राजस्व रिकार्ड अनुसार पट्टे की भूमि है अथवा नहीं?
- 4. म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6) व (7) के उपबंधों के अधीन प्रतिबंधित तो नहीं है ?
- 5. वर्तमान में भूमि पर कब्जा किसका है?
- 6. मौके पर भूमि सिंचित है या असिंचित । राजस्व रिकार्ड में भूमि सिंचित है अथवा असिंचित है ?
- 7. कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन में तो उपयोग नहीं हो रहा है ? आवासीय अथवा व्यावसायिक ?
- 8. कोई न्यायालयीन रोक, बाधा, अथवा किसी की आपत्ति है या नहीं ?
- 9. नामांतरण किये जाने की अनुसंशा है अथवा नहीं?

उक्त रिपोर्ट प्रकरण में नियत पेशी दिनांक / /2023 के पूर्व अनिवार्यतः प्रस्तुतकी जावें । नियत पेशी दिनांक तक प्रकरण में आपकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर उक्त नामांतरण प्रकरण में आपकी अनुसंशा मानी जाकर एक तरफा कार्यवाही कर दी जावेगी । एक तरफा कार्यवाही किये जाने के बाद प्रकरण में आपत्ति/विवाद होने पर समस्त उत्तरदायित्व आपका माना जावेगा । अतः समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जावे ।

नायब तहसीलदार तहसील मनगवा

## न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील - मनगवा,जिला रीवा(म.प्र.) (मामले वाद धारा 109, 110 म.प्र.भू राजस्व संहिता नामांतरण)

S	L	-

प्रकरण क्रमांक 47/a6/2023-24/अ-6/2023-24

-----

Date- / /2023

#### विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम फूल स्थित भूमि सर्वे नम्बर 642/1 कुल सर्वे नम्बर 1 कुल रकबा 0.258 पर केता सुशीला केवट, निवासी फूल द्वारा प्रस्तुत कर विक्रय पत्र के आधार पर विकेता शालिकराम, निवासी के स्थान पर नामांतरण हेतु इस न्यायालय में कार्यवाही प्रचलित है।

अतएव जिस किसी को आपत्ति हो विज्ञप्ति चस्पा होने के दिन से 15 दिनों के अंदर अपनी आपत्ति पटवारी ग्राम फूल अथवा न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील मनगवा में प्रस्तुत करें । अविध गुजरने के बाद को किसी की आपत्ति मान्य नहीं होगी।

आज दिनांक / /2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

नायब तहसीलदार तहसील मनगवा

### प्रतिलिपि:-

- 1. एक प्रति तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जावे ।
- 2. एक प्रति ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा की जावे।
- 3. एक प्रति बाद निर्वाहन वापस हो ।

नायब तहसीलदार तहसील मनगवा

### राजस्व मामले में नोटिस

समक्ष नायब तहसीलदार स्थान मनगवा मामले के विषय <b>नामांतरण मामला</b>	SL-
प्रकरण क्रमांक 47/a6/2023-24/अ-6/2023-24 श्री/श्रीमती आवेदक सुशीला केवट निवासी फूल	Date- / /2023
	विरूद्ध
दावा	
श्री/श्रीमती शालिकराम निवासी - फूल आपको सूचित किया जाता है कि उप दोपहर 02:00 बजे न्यायालय नायब तहसीलदार मनगवा पर होगी। तारीख / /2023 मुद्रा	युक्त मामले की सूनावाई दिनांक / /2023 को दिन में
	रीडर टू नायब तहसीलदार तहसील मनगवा
प्रष्टाकन क्रमांक 01	
बुलाये गये व्यक्ति के हस्ताक्षर प्रष्टाकन क्रमांक 02	
तामिल करने संबंधी प्रष्टाकन तारीखमाह सन 2023 कोबजे मेरे बाद तामिल	किया गया ।
· ·	तामील करने वाले के हस्ताक्षर
	·
नोट - पक्षकार मास्क लगा कर एवं पुकार लगाने पर ही न्यायालय में उपस्थि	ग्त हो । 
राजस्व मामले में	गेटिस
समक्ष नायब तहसीलदार स्थान मनगवा मामले	गोटिस SL-
समक्ष नायब तहसीलदार स्थान मनगवा मामले के विषय नामांतरण मामला	SL- 
समक्ष नायब तहसीलदार स्थान मनगवा मामले के विषय <b>नामांतरण मामला</b> प्रकरण ऋमांक 47/a6/2023-24/अ-6/2023-24	SL- 
समक्ष नायब तहसीलदार स्थान मनगवा मामले के विषय <b>नामांतरण मामला</b> प्रकरण ऋमांक 47/a6/2023-24/अ-6/2023-24	SL-  Date- / /2023
समक्ष नायब तहसीलदार स्थान मनगवा मामले के विषय <b>नामांतरण मामला</b> प्रकरण क्रमांक 47/a6/2023-24/अ-6/2023-24 श्री/श्रीमती आवेदक सुशीला केवट निवासी फूल	SL-  Date- / /2023 विरूद्ध
समक्ष नायब तहसीलदार स्थान मनगवा मामले के विषय नामांतरण मामला प्रकरण क्रमांक 47/a6/2023-24/अ-6/2023-24 श्री/श्रीमती आवेदक सुशीला केवट निवासी फूल वाबा श्री/श्रीमती शालिकराम निवासी - फूल आपको सूचित किया जाता है कि उप दोपहर 02:00 बजे न्यायालय नायब तहसीलदार मनगवा पर होगी। तारीख / /2023	SL-  Date- / /2023 विरूद्ध
समक्ष नायब तहसीलदार स्थान मनगवा मामले के विषय नामांतरण मामला प्रकरण क्रमांक 47/a6/2023-24/अ-6/2023-24 श्री/श्रीमती आवेदक सुशीला केवट निवासी फूल वाबा श्री/श्रीमती शालिकराम निवासी - फूल आपको सूचित किया जाता है कि उप दोपहर 02:00 बजे न्यायालय नायब तहसीलदार मनगवा पर होगी। तारीख / /2023	SL- 
समक्ष नायब तहसीलदार स्थान मनगवा मामले के विषय नामांतरण मामला प्रकरण क्रमांक 47/a6/2023-24/अ-6/2023-24 श्री/श्रीमती आवेदक सुशीला केवट निवासी फूल वामांतरण मामला प्रकरण क्रमांक 47/a6/2023-24 श्री/श्रीमती आवेदक सुशीला केवट निवासी फूल वामांत्र आवेदक सुशीला केवट निवासी फूल वामांत्र शालिकराम निवासी - फूल आपको सूचित किया जाता है कि उप दोपहर 02:00 बजे न्यायालय नायब तहसीलदार मनगवा पर होगी। तारीख / /2023 मुद्रा	SL- 
समक्ष नायब तहसीलदार स्थान मनगवा मामले के विषय नामांतरण मामला प्रकरण क्रमांक 47/a6/2023-24/अ-6/2023-24 श्री/श्रीमती आवेदक सुशीला केवट निवासी फूल  दावा श्री/श्रीमती शालिकराम निवासी - फूल आपको सूचित किया जाता है कि उप दोपहर 02:00 बजे न्यायालय नायब तहसीलदार मनगवा पर होगी। तारीख / /2023 मुद्रा  प्रष्टाकन क्रमांक 01 बुलाये गये व्यक्ति के हस्ताक्षर	SL- 
समक्ष नायब तहसीलदार स्थान मनगवा मामले के विषय नामांतरण मामला प्रकरण कमांक 47/a6/2023-24/अ-6/2023-24 श्री/श्रीमती आवेदक सुशीला केवट निवासी फूल वाबा श्री/श्रीमती शालिकराम निवासी - फूल आपको सूचित किया जाता है कि उप दोपहर 02:00 बजे न्यायालय नायब तहसीलदार मनगवा पर होगी। तारीख / /2023 मुद्रा प्रष्टाकन कमांक 01 बुलाये गये व्यक्ति के हस्ताक्षर प्रष्टाकन कमांक 02	SL- 

नोट - पक्षकार मास्क लगा कर एवं पुकार लगाने पर ही न्यायालय में उपस्थित हो ।

## न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील - मनगवा,जिला रीवा (म.प्र.)

#### प्रकरण क्रमांक 47/a6/2023-24/अ-6/2023-24

दिनांक - / /2023

### केता के कथन

नाम पिता/पित का नाम व जाति - सुशीला केवट

उम्र

व्यवसाय

निवासी - फूल

\*\*\*\*\*\*

मैं शपथ पुर्वक कथन करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा विकेता शालिकराम, तहसील-मनगवा, जिला -रीवा से ग्राम फूल तहसील रीवा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 642/1 कुल सर्वे नम्बर 1 कुल रकबा 0.258 विकय मूल्य रूपये....... मे क्रय की है। उक्त भूमि विक्रय मुल्य मेरे द्वारा विकेता को अदा कर दिया है। आवेदित भूमि पर विकेता के स्थान पर मेरा नामांतरण किया जावे। बयान पढ़ा सुना व सही होने से स्वीकार किया गया

## न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील - मनगवा,जिला रीवा (म.प्र.)

#### प्रकरण क्रमांक 47/a6/2023-24/अ-6/2023-24

दिनांक - / /2023

### विकेता के कथन

नाम पिता/पित का नाम व जाति - शालिकराम

उम्र -

व्यवसाय

निवासी - फूल

\*\*\*\*\*\*

मैं शपथ पुर्वक कथन करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा केता सुशीला केवट निवासी फूल से ग्राम केता सुशीला केवट निवासी फूल तहसील मनगवा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 642/1 कुल सर्वे नम्बर 1 कुल रकबा 0.258 विक्रय मूल्य रूपये ....... मे विक्रय की है। उक्त भूमि विक्रय मुल्य मेरे द्वारा केता से प्राप्त कर लिया है। आवेदित भूमि पर मेरे स्थान पर केता का नामांतरण किया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बयान पढ़ा सुना व सही होने से स्वीकार किया गया

नायब तहसीलदार तहसील मनगवा

# कार्यालय पटवारी हल्का नम्बर 21 ग्राम फूल तहसील मनगवा जिला रीवा (म.प्र.)

प्र	7	Γ.

श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय, तहसील मनगवा जिला - रीवा (म.प्र.)

विषय: - नामांतरण प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत्।

संदर्भ :- न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 47/a6/2023-24 /अ-6/2023-24 दिनांक / /2023 के पालन में।

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि आवेदक **सुशीला केवट निवासी फूल द्वा**रा ग्राम **फूल** स्थित भूमि सर्वे नम्बर 642/1 हेक्टर पर नामांतरण किये जाने हेतु जॉच प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

ऋ.	जॉच के बिन्दु	
1	राजस्व रिकार्ड अनुसार भू-दान की भूमि है अथवा नही ?	
2	राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि वर्तमान में किसके नाम से दर्ज है ?	
	राजस्व रिकार्ड अनुसार पट्टे की भूमि है अथवा नही ?	
4	म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) व (7) के उपबंधों के अधीन प्रतिबंधित तो नहीं है ?	
5	वर्तमान में भूमि पर कब्जा किसका है ?	
6	मौके पर भूमि सिंचित है या अंसिचित । राजस्व रिकार्ड में भूमि सिंचित है अथवा अंसिचित है ?	
7	कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन मे तो उपयोग नहीं हो रहा है ? आवासीय अथवा व्यावसायिक ?	
8	कोई न्यायालयीन रोक, बाधा अथवा किसी की आपत्ति का उल्लेख तो नहीं है ?	
	उक्त भूमि पर बैंक बंधक है या नहीं	
10	नामान्तरण किये जाने कि अनुसंशा है अथवा नहीं ?	

### न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील मनगवा, जिला - रीवा (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक - 47/a6/2023-24/अ-6/2023-24

सुशीला केवट,
निवासी - फूल(म.प्र.)
(क्रेता)आवेदक
विरूद्ध
शालिकराम
निवासी - फूल (म.प्र.)
(विक्रेता) अनावेदक

\*\*\*//आदेश//\*\*\*
पारित दिनांक - \_\_\_\_/\_\_\_/2023
(मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109-110 के तहत नामान्तरण संबंधी)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक (केता) सुशीला केवट, निवासी– फूल (म.प्र.) के द्वारा भू -राजस्व संहिता 1959 की धारा 109,110 के तहत विकेता शालिकराम निवासी - फूल (म.प्र.) के स्थान पर रिजस्टर्ड विकय पत्र कमांक mp475675 दिनांक 03-10-2023 के आधार पर ग्राम - फूल तहसील - मनगवा में स्थित भूमि सर्वे नम्बर 642/1 कुल सर्वे नम्बर 1 कुल रकबा 0.258 पर नामांतरण किये जाने का निवेदन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर किया गया । आवेदक ने आवेदन के समर्थन में खसरा बी- 1 रिजस्टर्ड दानपत्र, विकेता का शपथ– पत्र प्रस्तुत किया गया ।

प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया । समयाविध उपरांत आज दिनांक तक कोई आपित्त प्राप्त नहीं हुई । प्रकरण में मौजा पटवारी फूल से प्रतिवेदन लिया गया जिसमें पटवारी द्वारा बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है – 1. राजस्व रिकार्ड अनुसार भू-दान की भूमि नहीं है 2. राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि वर्तमान में विकेता के नाम से दर्ज है 3. राजस्व रिकार्ड अनुसार पट्टे की भूमि नहीं है 4. म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(6) व (7) के उपबंधों के अधीन प्रतिबंधित नहीं है 5. कब्जे संबंधी विवरण रिजस्टर्ड विक्रय पत्र में उल्लेखित है 6. मोके पर भूमि सिंचित हैं। 7. कृषि के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन में उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा हैं। 8. कोई न्यायालयीन रोक, बाधा अथवा किसी की आपित्त का उल्लेख नहीं है 9. उक्त भूमि बेंक में बंधक दर्ज नहीं है । राजस्व रिकार्ड में विकेता का नाम आवेदित भूमि पर दर्ज होना बताया व रिकॉर्ड अनुसार नामांतरण किये जाने में सहमति व्यक्त की गयी।

मेर द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण का अवलोकन अध्ययन व परीक्षण किया गया जिसमें आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, विकेता का शपथ पत्र, पटवारी मौजा प्रस्तुत प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आवेदक सुशीला केवट निवासी – ग्राम फूल (म.प्र.) द्वारा भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109,110 के तहत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए, ग्राम फूल तहसील मनगवा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 642/1 कुल सर्वे नम्बर 1 कुल रकबा 0.258 पर विकेता शालिकराम, निवासी – ग्राम फूल (म.प्र.) के स्थान पर आवेदक (केता) सुशीला केवट, निवासी – ग्राम फूल (म.प्र.) का नामांतरण स्वीकृत किया जाता है । मोजा पटवारी को पृथक से आदेश जारी कर 07 दिवस में संशोधित खसरा प्रति मंगाई जाये । बाद पूर्णता प्रकरण समाप्त होकर दायर रिकार्ड दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक / /2023 को मेरे बोलने पर टंकन किया गया व मेरे हस्ताक्षर व न्यायालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया। क्रमांक /री-1/2023

तहसील मनगवा, दिनांक / /2023

प्रतिलिपि,

पटवारी मोजा फूल तहसील मनगवा आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल कर पालन प्रतिवेदन 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

> नायब तहसीलदार तहसील - मनगवा